निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

प्रकरण संख्या 20/2020 (रसद अपील)

ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री जगदीश नारायण, निवासी 10/163 दीपक मार्ग आदर्श नगर, जयपुर। प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान संख्या 468, जयपुर शहर जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश व निर्णय दिनांक 13.03.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 516/2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 468 जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर जब्त करने एवं दिनांक 21.07.2020 के नोटिस द्वारा राशि 34,030/–रूपये राजकोष में जमा किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश दत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 12.04.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 516/2019 आदेश दिनांक 13.03.2020 से अपीलार्थी ओम प्रकाश गुप्ता प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 468, जयपुर शहर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त सरकार करने एवं नोटिस दिनांक 21.07.2020 द्वारा राशि 340,30/–रूपये राजकोष में जमा कराने के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकान संख्या 468 जयपुर शहर का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतदपश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 481/83 मिला हुआ है, अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य

जिला कलक्टर
जयपुर

सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियो के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। दिनांक 13.12.2019 व 23.12.2019 को मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद असलम तथा शकील मोहम्मद के राशनकार्डो मे आधार नम्बर डिलीट करने हेतु अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां आवेदन पत्र पेश किये। दिनांक 19.12.2019 को जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने श्रीमती गौरा मीणा प्रर्वतन अधिकारी डिवीजन संख्या 10 द्वारा श्री एम. खान की शिकायत पर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित कर एक कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को दिनांक 19.12.2019 जारी किया, जिसमें शकील अहमद के राशन कार्ड संख्या 11900510З792 में गोपाल गुप्ता का आधारकार्ड संख्या 4977080225З लगा कर राशन सामग्री निकालने एवं मोहम्मद आरिफ कुरैशी के राशनकार्ड संख्या 119005101210 में विकास सिंह का आधार कार्ड संख्या 345863518978 को लिंक करके राशन सामग्री गेहूँ उठाने का आरोप था तथा जिला रसद अधिकारी प्रथम जयपुर ने अपने इकतरफा आदेश दिनांक 19.12.2019 द्वारा अपीलार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलम्बित करने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी ने दिनांक 27.02.2020 को जिला रसद अधिकारी के यहां अपना प्रत्युत्तर/जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार दिनांक 19.02.2020 को जरिये चालान 20Р300/–रूपये गेहूँ की कीमत जमा करायी तथा चालान की फोटो प्रति प्रस्तुत की। जिला रसद अधिकारी ने पुनः दिनांक 14.02.2020 को अपीलार्थी को फकरूदीन, मोहम्मद असलम एवं शकील अहमद के राशनकार्डो के संबंध में गलत आधार कार्ड दर्ज कर गेहूँ वितरण के आरोप के संबंध में नोटिस जारी किया जिसका प्रत्युत्तर अपीलार्थी ने दिनांक 27.02.2020 को प्रस्तुत किया तथा निम्न दस्तावेजो की फोटो प्रतिया अपने जवाब नोटिस के साथ राशनकार्ड की फोटो प्रति किता तीन, मृत्यू प्रमाण पत्र फकरूदीन एवं राशनकार्ड नम्बर 119005101111 प्रस्तुत की। दिनांक 14.12.2020 को जिला रसद अधिकारी ने राशनकार्ड धारियो को भी नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये तथा राशनकार्ड धारी फकरूदीन पुत्र जहूर के पुत्र मोहम्मद आरिफ ने दिनांक 28.02.2020 को अपना प्रत्युत्तर/जवाब नोटिस प्रस्तुत किया तथा उसके साथ स्वर्गीय श्री फकरूदीन का मृत्यू प्रमाण पत्र भी पेश किया। इसी प्रकार मोहम्मद असलम एवं अकबरी बेगम पत्नी शकील अहमद ने भी अपने जवाब नोटिस तथा उनके साथ दस्तावेजात प्रस्तुत किये। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.02.2020 को प्रतिउत्तर नोटिस जिला रसद अधिकारी के यहां प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलार्थी को कोई सुनवाई हेतु तारीख पेशी नही दी गई, न ही प्रकरण में कोई जांच की गई तथा जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 13.03.2020 को अपना इकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसकी सूचना दिनांक 31.07.2020 के पत्र द्वारा अपीलार्थी को प्राप्त हुई। श्रीमती गोरा मीणा प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा श्री एम. खान से प्राप्त शिकायत के आधार पर अपीलार्थी व अन्य के विरूद्ध जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी के यहां प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही संस्थित कर अपीलार्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, के साथ प्रतियां नही भेजी गई। जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की अवहेलना हुई है। जबकि कई न्यायिक निर्णयों मे सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है जैसे AIR 2016 पटना

जिला कलक्टर
जयपुर

148 रामचन्द्र प्रसाद यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य के प्रकरण में इसकी व्याख्या की गई है। अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 19.12.2019 एवं 14.02.2020 को जो कारण बताओं नोटिस जारी किये उनके प्रत्युत्तर/जवाब अपीलार्थी ने दिनांक 27.02.2020 को अलग–अलग प्रस्तुत किये तथा उनके साथ अनेक दस्तावेज पेश किये। जिला रसद अधिकारी ने ना तो उक्त मामले में कोई जांच की और ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का कोई मौका दिया तथा अपने निर्णय में मात्र यह कथन किया कि "डीलर का जवाब सन्तोषप्रद नहीं है।" लेकिन जिला रसद अधिकारी ने राशनकार्ड धारियो के जवाब नोटिस व उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तोवेजो का कोई मनन एवं विनिश्चय अपने निर्णय में नहीं किया। जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय अपीलार्थी एवं राशनकार्ड धारियों के द्वारा प्रस्तुत पृथक–पृथक जवाबों पर विचार किये बिना पारित किया है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो परिवादी का परीक्षण किया ना अपीलार्थी को उससे प्रतिपरीक्षण करने का कोई मौका दिया तथा प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट यानि पंचनामा को साक्ष्य मानकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय है। इस संबंध में न्यायिक विनिश्चय ए.आई. आर. 2020 आन्ध्रप्रदेश 128 के॰ मधुसूदन नायडू बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश व अन्य की व्याख्या की गई। नोटिस में वर्णित राशनकार्डधारियों द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से राशनकार्डो पर गेहूँ प्राप्त करना स्वीकार किया गया है, जिसका इन्द्राज उनके राशनकार्डो में है तथा उपभोक्ताओं द्वारा अपने प्रत्युत्तर नोटिस, शपथ पत्र व राशनकार्ड आदि प्रस्तुत किये है, जिससे राशनकार्ड धारियों को गेहूँ वितरण किया जाना पूर्णतः साबित है। लेकिन इस तथ्य पर भी जिला रसद अधिकारी ने कतई गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की संख्या 2 के अनुसार कोई भी प्राधिकार धारक विधि मान्य राशनकार्ड पर खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ के विक्रय या वितरण पर इन्कार नहीं कर सकता है तथ शर्त संख्या 15 के अनुसार उक्त वितरण का इन्द्राज प्राधिकार धारक राशनकार्डो में निर्धारित स्थानों पर करने को पावन्द है। आदेश 1976 के उक्त प्रावधान सर्वोपरि है तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा गेहूँ का विक्रय राशनकार्ड धारक को किया गया, जिसका इन्द्राज उपभोक्ता के राशनकार्ड में दर्ज है। राशनकार्ड धारक उपभोक्ता को यह अवसर दिया गया है कि वह किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड पर राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है। खाद्य एवं नागरिक विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2016 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को डिजिटल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानदारों को प्रशिक्षण दिये जाने बावत निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन उक्त आदेशों की ना तो कोई पालना की गई और ना ही किसी भी उचित मूल्य दुकानदार को पोस मशीन के संबंध मे प्रशिक्षण दिया गया। जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 19.02.2020 को अपीलार्थी से गेहूँ की राशि 20,300/–रूपये जरिये चालान जमा करवा ली। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अन्य अनेक मामलो में उपरोक्त प्रकार की अनियमितता के लिये केवल मात्र गेहूँ की कीमत जमा कराकर प्राधिकारधारक का प्राधिकार पत्र बहाल किया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी के निम्न मामले –(1) प्रकरण संख्या 510/2019 निर्णय दिनांक 17.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश सोनी (2) प्रकरण संख्या 622/2020 निर्णय दिनांक 25.09.2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री संजय कुमार मीणा (3) प्रकरण संख्या 588 सी/2020 निर्णय दिनांक 29.09.

कलक्टर
जयपुर

2020 उचित मूल्य दुकानदार श्री मैसर्स शिवरण सिंह नरूका एवं (4) प्रकरण संख्या 536/2020 निर्णय दिनांक 26.06.2020 उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स जगदीश प्रसाद पहाडिया उल्लेखनीय है। उक्तानुसार एक ही प्रकार के आरोप पर जहां उक्त उचित मूल्य दुकानदारों का प्राधिकार पत्र बहाल रखा गया है और उनसे गेहूं की कीमत जमा करा ली गई है, जबकि अपीलार्थी से गेहूं की राशि भी जमा कर ली और अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया, वह किसी प्रकार से न्यायोचित नही है। एक ही प्रकार के मामलो में दो अलग अलग निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में ए.आई.आर 2015 (एन.ओ.सी) 367, बी. गन्जूला बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिविल सप्लाईस व अन्य, ए.आई.आर. 2018 झारखण्ड 137 सीताराम पहाडिया बनाम स्टेट ऑफ झारखण्ड एव ए.आई.आर. 2015 सुप्रीम कोर्ट 3411 स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल बनाम आर.के.वी.के. लि॰ व अन्य की व्याख्या की। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2020 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा राशन कार्ड संख्या 119005101111, 119005100751, 11900513792 एवं 119005101210 में राशनकार्ड धारक के परिवार के सदस्यों के अलावा डीलर का स्वयं का, पत्नी व पुत्र का एवं एक अन्य व्यक्ति का आधारकार्ड लगा कर अवैद्य रूप से कुल 1470 किलोग्राम गेहूं का आहरण कर आयोजन किया गया है। यह सही की उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 468 ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा स्वय एवं अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड अन्य राशनकार्डो से हटाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था, परन्तु उचित मूल्य दुकानदार श्री ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा स्वयं का अपनी पत्नी व पुत्र को आधारकार्ड से बायोमैट्रिक सत्यापन करते हुए पोश मशीन से प्रति माह गेहूं का अनाधिकृत आहरण व अपयोजन करना अवैद्य व अनैनिक है। उक्त कृत्य राशन डीलर की दुर्भावना व बदनियती का परिचायक है । डीलर का जवाब संतोष जनक नही है। एफ पी एस दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि उपभोक्ता के राशन कार्ड में सही आधार कार्ड का सत्यापन करके गेहूं की सही निकासी करे। आधार कार्ड को लिंक करने का कार्य उचित मूल्य दुकान द्वारा ही किया जाता है । उपभोक्ता के राशनकार्डो में उसके परिवार के अलावा दीगर व्यक्तियों के आधार कार्ड को लिंक कराके गेहूं की प्रति माह अवैद्य निकासी राशनडीलर की संलिप्तता के बिना सम्भव नही है। उचित मूल्य दुकानदार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।तथा अवैद्य निकासी हिकये गये गेहूं की राशि 34,030/–रुपये जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. अपीलार्थी पर राशन कार्ड संख्या राशन कार्ड संख्या 119005103792 में गोपाल गुप्ता का आधारकार्ड संख्या 49770802255 लगा कर राशन सामग्री निकालने एवं मोहम्मद आरिफ कुरैशी

के राशनकार्ड संख्या 119005101210 में विकास सिंह का आधार कार्ड संख्या 345863518978 परिवार के अलावा दीगर व्यक्ति का आधारकार्ड को लिंक करके गेहूं की निकासी किये जाने की अनियमितता किये जाने का आरोप है। उपभोक्ता उचित मूल्य दुकानदार के पास राशनकार्ड व आधार कार्ड लेकर राशन सामग्री लेने आते है। जिनका पोस मशीन द्वारा सत्यापन करने के पश्चात ही सामग्री दी जाती है। उक्त राशनकार्डो पर सामग्री लिये जाने पर उसके मुखिया को वस्तुस्थिति की जांच करने के लिए तलब नहीं किया गया है। आधारकार्ड डबल मिलना नही पाया गया है और न ही आधार कार्ड को फर्जी सिद्व कर पाये है। राशनकार्डो पर अन्य के आधार कार्ड किस के द्वारा कब लिंक किये गये, इसकी कोई जांच नही की गई। राशनकार्ड धारक को एवं जिनके आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है, उनसे कोई जांच नहीं की गई, न ही उनके बयान लिये गये। इस बात की भी जांच नहीं की गई कि क्या एक ही आधार कार्ड से दो बार गेहूं उठाये गये है ? यह भी जांच का विषय है, की क्या आधारकार्ड डीलर द्वारा लिंक किये गये है या किसी ई मित्र केन्द्र द्वारा। जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच प्रोपर तरीके किया जाना नही पाया गया है। ऐसे मामले कई उचित मूल्य दुकानों पर पाये गये है जिनमें से कुछ मामलों में केवल गेहूं की राशि जमा कर छोड दिया गया जबकि अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर समस्त प्रतिभूति राशि भी जब्त सरकार कर ली गई। इस प्रकार एक ही तरह की अनियमितता के मामलों में जिला रसद अधिकारी द्वारा अलग अलग सजा से दण्डित किया गया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2020 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी डीलरस का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में संबंधित राशनकार्डधारी उपभोक्ता एवं आधारकार्डधारी के बयान लेकर संबंधित राशनकार्ड एवं आधारकार्ड की जांच करें। आधार कार्ड गलत लिंक किये गये है या नही एवं यदि गलत लिंक किये गये है तो किसके द्वारा आदि तथ्यों की पैरा 7 में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर जांच करे एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को सरे इजलास सुना गया ।

12/4/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलेक्टर
जयपुर